SECTION – 1

# Notice Inviting Tender

## OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION GWALIOR

**No.** – MPGMC/13/2024/2/10/GAD/2024 Dated .03.2024

On behalf of Gwalior Municipal Corporation online **Percent Rate bids** are invited for selection of Contractor and empanelment of Contractors for annual contract to provide 1072 skilled , 27 semiskilled and 411 unskilled labourers on contract basis to carry out duty of manpower at all offices, installations and establishments of Municipal Corporation, Gwalior for a period of two (02) years on portal http://www.mptenders.gov.in from Proprietary Firm or Partnership Firm or Private Limited Firm or registered firm with Cooperative Societies or Public Sector Units of Central or State Government or any Semi Government Institution of Central or State Government .

| NIT Call | Name of Work | Probable Amount of Contract (In crore) | Earnest Money Deposit (In Lakh) | Cost of Bid Document (In Rs.) | Contract Period (InMonths) | Type of tender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First | Selection of a Contractor and empanelment of Contractors for annual contract to provide 1072skilled, 27semiskilled and411 unskilled manpower labourers on contract basis to carry out duty of manpower at all offices, installations and establishments of Municipal Corporation, Gwalior | 65 Crore | 32.50 Lakh | 20000, | 24 | Percent Rate |

esbjob.com

1. Interested bidders can view detailed NIT on website http://mptenders.gov.in.
2. Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and not in newspapers.
3. All details relating to the Bid Documents can be viewed and downloaded free of cost on the website http://mptenders.gov.in
4. Bid Documents can be purchased after making online payment of portal fees through Credit/Debit/Cash card/Internet Banking.
5. At the time of submission of Bid the eligible bidder shall be required to:
   - v. pay the cost of Bid Document;
   - vi. deposit the Earnest Money;
   - vii. submit an affidavit.

iv. other documents as specified in bid document.

Details can be seen in the Bid Data Sheet.

**6. Eligibility For Bidders**

i. The bidder may be a Proprietary Firm or Partnership Firm or Private Limited Firm or registered Firm with Cooperative Societies or Public Sector Units of Central or State Government or Semi Government Institutions of Central or State Government.

ii. The bidder is required to have valid registered Firm at the time of submission of bid.

iii. The bidder should have valid Employee Provident Fund (EPF) registration at the time of submission of bid.

iv. The bidder should have valid Employee State Insurance (ESI) registration at the time of submitting of bid.

v. The bidder should have valid License issued by Director General of Police (DGP) under Private Security Agencies Regulation (PSARA) Act, 2005 at the time of submission of bid.

vi. The bidder should have PAN (Permanent Account Number).

vii. The bidder should have Goods and Services Tax (GST) registration issued by Commercial Tax Department in the name of firm at the time of submission of bid.

viii. The bidder should not have been debarred or blacklisted by any department and undertaking of Central or State Government or any Government University or Local Body at the time of submission of bid.

ix. The bidder shall not be under conviction period as per the judgement of Court of law at the time of submission of bid.

Add- Commissiner
Gwalior Municipal Corporation

esbjob.com

# कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर

क्रं. 13/ऐ.ऐ./2/10/सा.प्र/2023/544 दिनांक 10/01/2023 2024

प्रति

सचिव
नगर निगम ग्वालियर।

विषयः— नगर निगम ग्वालियर के विभिन्न विभागों/क्षेत्रीय कार्यालायों पर आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से मेन पावर श्रमिक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त बिषय में लेख है कि नगर निगम ग्वालियर में आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से मेन पावर उपलब्ध कराने हेतु परिषद का ठहराव कं. 92 दिनांक 05.10.2023 द्वारा नवीन निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में नगर निगम ग्वालियर में आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से कार्यरत श्रमिक तथा ईकोंग्रीन के श्रमिक सहीत 1510 मैनपावर श्रमिक कार्यरत है, जिनपर वर्तमान में देय, म.प्र.श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित परिश्रमिक एवं समय—2 पर परिवर्तनीय परिश्रमिक दर अनुसार लगभग 65(पैंसठ) करोड़ वित्तिय व्यय दो वर्ष हेतु आना संभावित है।

अतः उपरोक्तानुसार आगामी 02 वर्ष (2024—25 एवं 2025—26) के लिए आउटसोर्स के माध्यम से 1510 मेन पावर प्राप्त करने के लिये उक्त निविदा पर आने वाले अनुमानित व्यय राशि रू. 65 (पैंसठ) करोड़, दो वर्ष के लियें वित्तीय व्यय की स्वीकृति एवं निविदा शर्तो के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मेयर—ईन—कॉउसिंल के माध्यम से निगम परिषद में प्रस्तुत कर लिए गये। निर्णय से अति शीघ्र अवगत करावें।

संलग्नः— उपरोक्ताअनुसार

आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर

esbjob.com

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर

क्र. ...../23/2/10/सा.प्र./2023 ग्वालियर, दिनांक ......./...../2023

## निविदा विज्ञप्ति

नगर निगम ग्वालियर में विभिन्न सेवाओं के प्रदाय हेतु विधिक रूप से पंजीकृत संस्थाओं/पार्टनरशिप फर्मो/सहकारी संस्थाएँ/लिमिटेड पार्टनरशिप फर्मो/निगमित कम्पनी आदि जिनके द्वारा मेन पावर उपलब्ध कराया जाता है से ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24, से दो वर्ष हेतु ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग निविदा दिनांक ..................... सांय ........... बजे तक आमंत्रित की जाती है। विभिन्न सेवाओं में वाहन चालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एंट्री ऑपरेटर), लाईफ गार्ड, अन्य सेवा/जॉब आदि से संबंधित कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक सम्मिलित है, जिनके संबंध में योग्यता, श्रेणी आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | श्रमिक का विवरण | श्रेणी | निर्धारित योग्यता | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वाहन चालक | कुशल | 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा हेवी मोटर व्हीकल/लाईट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञप्ति धारक हो। | शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा |
| 2 | कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) | कुशल | BCA/PGDCA (मान्यता प्राप्त संस्था से) | " |
| 3 | मैकेनिक/लेथ ऑपरेटर | कुशल | **ITI in respective trade** | " |
| 4 | इलेक्ट्रीशियन/लाईनमैन | कुशल | संबंधित व्यवसाय में आई.टी.आई. उत्तीर्ण अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) से उपयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण। | " |
| 5 | समयपाल (टाईम कीपर) | कुशल | 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई. | " |
| 6 | लाईफ गार्ड | कुशल | तैराकी का 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र सहित। | " |
| 7 | फायरमैन | कुशल | 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य | " |
| 8 | मैसन | कुशल | **ITI** | " |
| 9 | कारपेंटर | कुशल | **ITI in carpentry** | " |
| 10 | प्लम्बर | कुशल | **ITI in plumbing and fitting** | " |
| 11 | बागवान/भृत्य/श्रमिक आदि | अकुशल | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण | |



esbjob.com

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य शर्तें–

1. वर्तमान में नगर निगम ग्वालियर में 1510 कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल आउटसोर्स श्रमिक कार्यरत है। श्रमिकों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढोत्तरी ठेका अवधि में की जा सकती है।
2. यह कि किसी कारण से आगामी ठेका विलम्ब से होता है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान ठेकेदार को आगामी ठेका होने तक पूर्व स्वीकृत दरों (सेवा शुल्क) पर कार्य करना होगा।
3. एजेन्सी द्वारा नियुक्त किये गये श्रमिको को एकरूपता की दृष्टि से ड्रेस कोड में आना होगा। जिसकी जिम्मेदारी नियुक्ति एजेन्सी की होगी। सभी श्रमिको को वर्ष में 02 ड्रेस दिया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा में भाग लेने हेतु संबंधित निविदाकर्ता का श्रम विभाग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है तथा सफल निविदाकार को ठेका स्वीकृत होने पर श्रमिक संख्या अनुरूप लेबर लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाकार को **EPF**, **ESI** एवं **GST** का पंजीयन प्रस्तुत करना होगा।
5. यह कि फर्म जिसका ठेका स्वीकृत किया जाएगा,उक्त फर्म को श्रमिको को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त **EPF**, **ESI** तथा श्रमिक का व्यक्तिगत **EPF** अंशदान की राशि क्रमशः आयुक्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में श्रमिको के नाम एवं यू.ए.एन. कोड वाइज तत्काल नियमानुसार **GST** की राशि जमा कराना होगी तथा ठेका फर्म को बिल पर देय आयकर (**IT**) एवं **GST TDS** की राशि का भुगतान नियमानुसार करना होगा तथा भुगतान के उपरांत चालान एवं **RTGS** भुगतान की प्रतिलिपि निगम में प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगी।
6. फर्म को विगत तीन वर्ष के आयकर रिटर्न (**ITR**) तथा बैंलेंस शीट प्रस्तुत करना होगी। (जो कि **C.A.** द्वारा सत्यापित हो)।
7. यह कि निविदाकार फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पूर्व में उनकी संस्था को किसी भी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निगम द्वारा ब्लेक लिस्ट नही किया गया है।
8. निविदा के साथ, दि प्रायवेट सिक्योरिटी ऐजेन्सीज (रेग्युलेशन) एक्ट 2005, कर्मचारी भविष्य निधि,लेबर लायसेंस, ईएसआईसी, सर्विस टेक्स, आयकर (पेन नंबर) के अंतर्गत पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को अनुबंधित राशि का 05 प्रतिशत राशि राष्ट्रिय कृत बैंक से बैंक गांरटी के रूप में परफार्मेन्स गारंटी के तहत प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदाकार को नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि इस निविदा आवेदन पत्र/संलग्न दस्तावेजों के द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रमाणिकता के संबंध में वह एजेंसी जिम्मेदार है। भविष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में आवेदनकार्ता के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
11. ठेका एजेंसी को नगर निगम में उपलब्ध कराये जाने वाले मैन पॉवर श्रमिक के पास फोटो युक्त पहचान पत्र होना आवश्यक है, परिचय पत्र श्रमिक को ड्यूटी अवधि के दौरान अपने पास रखना होगा तथा नगर निगम के अधिकारी द्वारा मांगेजाने पर प्रस्तुत करना होगा। ठेका एजेन्सी द्वारा प्रदाय कराये गये श्रमिको का मृदुभाषी, अनुशासनप्रिय एवं कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य होगा। ठेका एजेंसी द्वारा लगाये गये श्रमिकों का पुलिस वैरिफिकेशन तथा उसके पास निर्धारित योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज मय सूची ठेका एजेन्सी को रखना होगी तथासूची की एक प्रति नगर निगम में रिकार्ड हेतु देना अनिवार्य होगी। ठेका एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक का कार्य व्यवहार सदैव अनुशासित हो। श्रमिको द्वारा किसी भी असामाजिक व्यक्ति/व्यक्तियों, धरना–प्रदर्शन, रैलियों इत्यादि में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग नहीं लिया जावेगा तथा सदैव निगम हितो का ध्यान रखते हुए अपनी सेवाएँ देना होगी। यदि कोई श्रमिक संदिग्ध किन्हीं गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है, तो घटना से संबंधित समस्त कार्यवाहियों, दावा, दुर्घटना, हानि, क्षतिपूर्ति न्यायालयीन प्रकरण, पुलिस प्रकरण आदि समस्त के लिए संबंधित श्रमिक एवं ठेका एजेंसी जिम्मेदार होगी। इस प्रकार के प्रकरणों में होने वाला व्यय भी ठेका एजेंसी को वहन करना होगा। नगर




Scanned with OKEN Scanner

पालिक निगम, ग्वालियर ऐसे प्रकरणों में पार्टी नहीं बनेगी। यदि नगर निगम, ग्वालियर द्वारा यह पाया जाता है कि ठेका एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की सन्निष्ठा संदिग्ध है अथवा वह अपनी सेवायें संतोषजनक रूप में नहीं दे पा रहा है, तो नगर निगम द्वारा ऐसे श्रमिकों को कार्यालय/परिसर/कार्यस्थल से तत्काल बाहर कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में ठेका एजेंसी को वैकल्पिक व्यवस्था कर अन्य श्रमिक/श्रमिकों को सेवा के लिये उपलब्ध कराना होगा।

12. श्रमिक के अवकाश पर जाने अथवा अस्वस्थ होने आदि अन्य कारणो से अनुपस्थित रहने की दशा में ठेका फर्म को यथासमय वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी।
13. यह की निविदादाता/फर्म के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिको का नियमानसुार इंश्योरेंस करना होगा एवं श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर फर्म की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी, निकाय की नहीं।
14. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगरीय क्षेत्र ग्वालियर में स्थानीय कार्यालय स्थापित करना होगा एवं आवश्यकतानुसार स्टाफ की कार्य संपादन हेतु व्यवस्था करनी होगी।
15. यह की, ठेका अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर डिपोजिट राशि राजसात की जावेगी।
16. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी नगर निगम ग्वालियर को होगा तथा उभय पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में विवाद निपटारे का न्याय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।
17. निविदा कार को जिस कार्य हेतु निविदा अमंत्रित की जा रही है उससे संबंधि तीन बर्ष का अनुभव हों।
18. यह आवश्यक होगा कि निविदाकार कार्य की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित विभिन्न नियम/एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध हो यह दायित्व पूर्णतः निविदाकार का होगा।
19. चयनित निविदाकार नगर निगम ग्वालियर के साथ दो वर्ष का अनुबंध निष्पादित करेगा संतोषजनक कार्य न होने की स्थिती में नगर निगम ग्वालियर एक माह पूर्व सूचना पर अनुबंध को समाप्त कर सकेंगे तथा ऐसी स्थिती में आवश्यकता अुनसार शस्तियां भी अधोरोपित कर सकेगें।
20. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 8 घंटे का होगा तथा नगर निगम ग्वालियरं के क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण 24 घंटे की काल अवधि में निर्देश अनुसार श्रमिको की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का दायित्व चयनित एजेन्सी का होगा।
21. श्रम कानून के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का रहेगा। जैसे कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970,न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट 1936,पेमेन्ट ऑफ वोनस एक्ट,इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्टस एक्ट 1947,एमप्लाइज प्रोविडेन्टफंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एमप्लाईज स्टेट इंशोरेंस एक्ट 1948,वूमन कम्पनेशन एक्ट 1923,मोटर व्हीकल एक्ट एंव विधि द्वारा लागू की गई अन्य न्यायोचित धारायें निविदाकार को मान्य होगी।
22. आवश्यकता न होने पर अथवा अन्य कारणों से निविदा कार्य समाप्त किया जाता है तो नगर निगम ग्वालियर से किया गया अनुबंध स्वतः ही समाप्त माना जावेगा इस स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों की जबाबदारी एजेन्सी की होगी किसी भी परिस्थिति में नगर निगम ग्वालियर का कोई दायित्व एंव जबाबदारी नहीं होगी।
23. चयनित होने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबंध न होन की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कि जा सकेगी तथा अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में धरोहर राशि तथा परफॉर्मेंस गारंटी दोनों ही राजसात की जा सकेगी।
24. किसी भी निविदकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी तथा प्रथम दृष्टया निरस्त की जावेगी।
25. इस अनुबंध में तहत किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर निगम ग्वालियर आर्बिट्रेटर होगें तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय/अवार्ड एजेन्सी को मान्य बंधनकारी होगें।
26. इस निविदा आंमत्रण के अन्तर्गत अंतिम चयन का अधिकार आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को होगा। निविदा प्रकिया को किसी भी समय/स्तर पर आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा नगर निगम ग्वालियर किसी भी निविदा प्रस्तुतकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायि नहीं होगा।



esbjob.com

Scanned with OKEN Scanner

27. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने पर 07 दिवस के अन्दर श्रमिको की शिफ्ट अनुसार ड्यूटी चार्ट (नक्शे पर दर्शाते हुए एवं लिस्टिंग के माध्यम से) नामजद देना अनिवार्य होगा।
28. श्रमिको की नियुक्ति से पूर्व आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष उसका साक्षात्कार लिया जावेगा तत्पश्चात् ही श्रमिक को पदस्थ किया जा सकेगा।
29. यदि चयनित निविदाकार द्वारा किसी भी शर्त का पालन नहीं करने के फलस्वरुप नगर निगम ग्वालियर द्वारा कोई वित्तिय दायित्व सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाता है तो वह राशि चयनित निविदाकार के लम्बित देयक/सुरक्षा निधि/फरफारमेंस गारंटी में से काटी जा सकेगी तथा उल्लेखित मदों में उपलब्ध राशि नगर निगम ग्वालियर के दायित्व से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के भुगतान की वैधानिक जिम्मेदारी चयनित निविदाकार की होगी।
30. किसी भी प्रकार के अधिरोपित दण्ड की राशि एजेंसी के देयक/सुरक्षा निधि/फरफारमेंस गारंटी में से काटी जा सकेगी एजेंसी की लापरवाही से नगर निगम ग्वालिय की प्रापर्टी को हुए नुकसार की भरपाई भी एजेंसी के देयक/सुरक्षा निधि/फरफारमेंस गारंटी में से की जावेगी किसी भी तरह चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाने में एजेंसी द्वारा की जाएगी।
31. यदि एक से अधिक निविदाकार द्वारा समान दर प्रस्तुत की जाती है तो आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, को स्वविवेक से निविदाकार के तकनीकी गुणवत्ता एवं समान प्रकार की संस्थाओं में कार्य के अनुभव के आधार पर किसी एक निविदाकार को चयनित करने का अधिकार होगा, इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।?
32. चयनित निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित कर कार्य करने के पश्चात द्वितीय चयनित निविदाकार की धरोहर राशि वापस की जावेगी।
33. न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य संबंधित प्रचलित नियमों के अनुसार श्रमिको की देयताओं को सम्मिलित करते हुए वित्तिय प्रस्ताव में विभिन्न केडर्स के श्रमिकों को दिये जाने वाले वेतन की प्रतिमाह राशि का उल्लेख किया जाना है।
34. सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किये जाने पर निर्धारित दिनांक से प्रतिशत वृद्धि/कमी के आधार पर प्रति श्रमिक देय राशि का पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा।
35. मसिक दर में समस्त वैधानिक भुगतान,कटौत्रिया(सर्विस टैक्स को छोड़कर) आदि सम्मिलित किया जावे।
36. अनुबंध कार्य अवधि के दौरान आवश्यकता होने पर अतिरिक्त श्रमिकों कि नियुक्ति इस अनुबंध में लागू दरों पर ही करना होगी।
37. स्वीकृत ऐजेंसी द्वारा पूर्व कार्यारत श्रमिकों को अनुभव के आधार पर प्रथमिकता देना होगी।
38. एजेन्सी को स्वीकृत मानव बल के कम से कम 10% अतिरिक्त मैन पावर की सूची उपलब्ध कराना आवश्यक होगी, यदि ऐजेंसी द्वारा कार्य हेतु उपलब्ध कराये गए श्रमिकों में से किसी श्रमिक की सेवायें ऐजेंसी को वापस की जाती हैं, उक्त श्रमिक के स्थान पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मैन पावर की सूची में से ही श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। साथ ही यदि अतिरिक्त श्रमिकों की उपलब्ध कराई गई सूची के क्रम में कोई श्रमिक अन्य कहीं लगाया जा चुका है ऐसी स्थिति में उसकी सूचना तत्तसमय ही निगम कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगी ताकी सूची मे क्रम अनुसार ही चयन उपरान्त श्रमिकों को लगाया जा सके।
39. ऐजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मैन पावर श्रमिकों एवं निगम के मध्य नियुक्त एवं नियोक्ता के कोई संबंध नहीं होंगे।
40. उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्डो के अवकाश के संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नियामों का पालन ऐजेंसी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।



ETENDRA

तकनीकी मूल्यांकन (Technical Evaluation) –

1. फर्म द्वारा प्रस्तुत ऑफर/निविदा का प्रथमतः तकनीकी मूल्यांकन (Technical Evaluation) किया जावेगा जो निम्नानुसार आधारित होगा–

| क्र | विवरण | आवश्यक दस्तावेज | मूल्यांकन का आधार | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सेवाओं के प्रदाय हेतु विधिक रूप से पंजीकृत संस्थाओं/पार्टनरशिप फर्मो/संस्थाओं/सहकारी संस्थाऐं/लिमिटेड पार्टनरशिप फर्मो/निगमित कम्पनी जिनके द्वारा मेन पावर उपलब्ध कराया जाता है। | फर्म/सोसायटी/कंपनी/सहकारी संस्थाए–सक्षम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। | विगत तीन वर्ष | 12 |
| | | | नोट–विगत तीन वर्ष के प्रमाण पत्रों से प्रथक पूर्व के वर्षो में लगातार कार्य करने हेतु दुकान स्थापना के पंजीयन के वैध प्रमाण पत्र के साथ कार्य करने पर प्रत्येक एक वर्ष के पूर्ण होने पर 01 अंक एवं अधिक वर्ष होने तक अधिकतम अंक 03 | 03 |
| | | | कुल अधिकतम अंक | 15 |
| 2. | वर्तमान में फर्म के पास 500 श्रमिको का किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/ निकाय में कार्यरत होना अनिवार्य है एवं पूर्व के वर्षो में प्रति माह 500 श्रमिक (औसतन) का प्रतिवर्ष कार्य कराने का अनुभव हो। | माह मार्च 2022 से मार्च 2023 की ईपीएफ ईसीआर एवं विगत वर्षो 2020–2021, 2021–2022 की पूरे बर्ष की ईपीएफ ईसीआर नोटः–एक वर्ष का आंकलन करने पर प्रति माह ओसत 500 श्रमिक का कार्य अनुभव होना आवश्यक है साथ ही श्रमिकों का आकलन पूरे एक वर्ष की ईसीआर की गणना के आधार पर की जावेगा। | वर्तमान मे औसत 500 श्रमिक प्रतिमाह होन पर। | 25 |
| | | | नोटः–पूर्व के वर्षो में औसत 500 प्रतिमाह श्रमिकों का अतिरिक्त कार्यानुभव होने पर प्रत्येक 01 वर्ष पूर्ण होने पर 5 अंक अधिकतम 2 वर्ष पूर्ण होन पर होने पर 10 अंक | 10 |
| | | | कुल अधिकतम अंक | 35 |
| 3. | वर्ष 2022–2023 में फर्म द्वारा कम से कम ओसतन 500 मैन पॉवर प्रतिमाह का म.प्र. श्रम कल्याण निधि में जमा राशि होना। | म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 नियम (3) (5) (प्रारूप–क) (जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 की जमा राशि रसीद) आवश्यक है। | वर्तमान में ओसत 500 श्रमिक प्रतिमाह होने पर। | 09 |
| | | | नोटः– अतिरिक्त 100 श्रमिकों की राशि जमा होने पर 02 अंक तक अधिकतम 06 अंक | 06 |
| | | | कुल अधिकतम अंक | 15 |

esbjpb.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर-30 करोड़ (विगत 03 वित्तीय वर्ष, 2020-21, 2021-22, 2022-23) | सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। | 30 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर। | 15 |
| | | | नोटः- अतिरिक्त 05 करोड़ का टर्नओवर पर 05 अंक अधिकतम 10 करोड़ या अधिक अतिरिक्त टर्नआवर पर अधिकतम 10 अंक। | 10 |
| | | | कुल अधिकतम अंक। | 25 |
| 5. | शासकीय/अर्द्धशासकीय/ निकाय में 500 श्रमिकों कि कार्य करने की श्रम विभाग की अनुज्ञप्ति, जो किसी एक संस्थान के लिये हो। | वैद्य लेबर लाईसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें, जो उक्त निविदा दाता/संस्था के नाम से ली गई हों। | 500 मेन पॉवर की अनुज्ञप्ति होने पर | 07 |
| | | | नोटः- अतिरिक 100 मेन पॉवर की अनुज्ञप्ति होने 01 अंक अतिरिक्त 300 मेनपावर की अनुज्ञप्ति होने पर अधिकतम 03 अंक। | 03 |
| | | | कुल अधिकतम अंक। | 10 |
| | | | कुल अंक- | 100 |

निविदा स्वीकृति प्रकिया-

1. सफल निविदाकार/फर्म का चयन तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। सर्वप्रथम तकनीकी मूल्याकन किया जाएगा। जो फर्म/निविदाकार तकनीकी मूल्यांकन में 60 अंक अथवा उससे अधिक प्राप्त करते है वे तकनीकी रूप से क्वालिफाइड माने जावेंगे। तदउपरांत तकनीकी क्वालिफाइड फर्म के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएगे। प्राप्त न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव एवं प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार फर्म/निविदाकार का चयन किया जाएगा।
2. जिस फर्म/निविदादाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव न्यूनतम होगा अर्थात L-1 होगा, उसको चयन हेतु विचार में लिया जाएगा। यदि समान निविदा प्राप्त होती है तो जिन निविदाकर्ता को तकनीकी मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे, उस निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय दर समान होने की स्थिति में स्थानीय निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. तकनीकी रूप से क्वालीफाई करने हेतु फर्म को कुल अंक 100 में से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करना होगा। जिन फर्म/निविदादाता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन में 60 या अधिक अंक प्राप्त किये गए है उन्हें ही क्वालिफाइड माना जावेगा एवं ऐसी क्वालिफाइड फर्म के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाऐगें। जिन फर्म/निविदादाता को तकनीकी मूल्यांकन में 60 अंक से कम अंक प्राप्त होंगे उनके वित्तीय प्रस्ताव नही खोले जाऐंगे।

वित्तीय प्रस्तावः- निविदाकार को अपनी इच्छा अनुसार सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में देना अनिवार्य होगा।

उदाहरण- टेंडर में सर्विस चार्ज की गणना :

माना की वर्तमान वर्तमान श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित किसी श्रमिक की दैनिक दर रू 300, प्रतिदिवस पर ठेके फर्म का सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में जोड़कर टेण्डर देना होगा। (उदाहरणार्थ-300रू का 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज 30रू = 330 रू निविदा राशि होगी।) सर्विस चार्ज की गणना इसी प्रकार की जावेगी।

नगर निगम द्वारा सेवा प्रदाता फर्म को निम्नानुसार राशि भुगतान की जावेगी।

(क) श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक प्रति दिवस की न्यूनतम दर अनुसार किया जावेगा।

(ख) ई.पी.एफ. की राशि वर्तमान नियमानुसार प्रतिशत में।(अथवा परिवर्तितहोनेपर तद्नुसार)

(ग) ई.एस.आई.एस. की राशि वर्तमान नियमानुसार प्रतिशतमें। (अथवा परिवर्तितहोनेपर तद्नुसार)

(घ) उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) की योग राशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी.।

(ङ) स्वीकृत न्यूनतम सर्विस चार्ज स्वीकृत दर अनुसार न्यूनतम मजदूरी पर देय होगा।

नोटः—उक्त देय के अलावाअन्य कोई देय निगम द्वारानहींदियाजावेगा।

ठेकेदार के अन्य विवरण/दायित्व :—

1. श्रमिको के बैंक खातेमेंश्रम आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित परिश्रमिक दर अनुसार पारिश्रमिक राशि जमा कराना।
2. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में प्रति श्रमिक ई.पी.एफ. की निर्धारित दर नियमानुसार प्रतिशत में ई.पी.एफ. खाते में जमा कराना।
3. राज्य कर्मचारी बीमा निगम कार्यालय में श्रमिक की बीमा अंशदान की निर्धारित दर नियमानुसार प्रतिशत में बीमा राशि जमा कराना।
4. उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) की योग राशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा कराना होगा। (अथवा परिवर्तित होने पर तद्नुसार)
5. ई.पी.एफ. खाते में श्रमिक का व्यक्तिगत अंशदान 12 प्रतिशत पारिश्रमिक से काटकर जमा कराना होगा।
6. ठेका प्रदाता फर्म का नगर नगम द्वारा भुगतान करते समय शासन नियमानुसार टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. की राशि काटी जावेगी।
7. उपस्थितिपत्रक हेतु माह की गणना माह की 20 तारीख से आगामी माह की 21 तारीख तक की जावेगी।
8. मासिक गणना 26 कार्य दिवस तथा 04 वैतनिक अवकाश को सम्मिलित करते हुये प्रचलित नियमानुसार की जावेगी। श्रमिक द्वारा किये अतिरिक्त कार्य का कोई भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जावेगा इसके लिए ऐंजेंसी स्वंय जिम्मेदार होगी।
9. प्रत्येक माह की 25 तारीख तक एजेंसी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति पत्रकों पर संबंधित प्रभारी अधिकारी के प्रमाणी करण एवं अन्य विवरण के साथ देयक संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. यदि देयक प्रस्तुतिकरण में संवंधित एजेंसी द्वारा विलंब किया जाता हैतो सम्पूर्ण उत्तरदायितव एजेंसी का होगा।
11. एजेंसी का भुगतान आर.टी.जी.एस. द्वारा किया जावेगा तथा नियमानुसार आयकर एवं अन्य करों का स्त्रोत पर कटोत्रा किया जावेगा।
12. वर्तमान देयक के साथ पिछले माह में भुगतान के विरूद्व सहायक आयुक्त भविष्य निधि कार्यालय में जमा राशि की रसीद की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगी।
13. ऐजेंसी को श्रमिको का भुगतान कुशल, अर्धकुशल, अकुशल हेतु श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित दर अनुसार किया जावेगा।(अथवा परिवर्तित होने पर तद्नुसार)
14. ऐजेंसी द्वारा शाखा प्रभारियों/क्षेत्राधिकारियों से प्रतिमाह सत्यापित उपस्थिति अपने स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में प्राप्त की जावेगी, उसका परीक्षण उपरांत स्वीकृत पारिश्रमिक दर + (EPF,ESIएवंGST) नियमानुसार प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस तक अपने नियुक्ति किये गये श्रमिको का भुगतान किया जाना सुनिश्चित कर अपना देयक भुगतान हेतु नगर निगम को 05दिवस में प्रस्तुत करेंगे, साथ ही ई.सी.आर. विभागाधिकारी के उपस्थिति प्रमाणीकरण दस्तावेजो सहित निगम को प्रस्तुत करना होगा।निगम कोउसी माह एजेन्सी को भुगतान का दायित्व होगा।



esbjob.com

Scanned with OKEN Scanner

15. ठेका अवधि में श्रम आयुक्त द्वारा दर परिवर्तित होने पर परिवर्तित दर से निगम द्वारा फर्मका पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।इसी प्रकार ई.पी.एफ., ई.एस.आई.एस., जी.एस.टी. की दर में शासन द्वारा वृद्धि/कमी होती है, तो परिवर्तित दर के अनुसार भुगतान किया जावेगा तथा उक्त परिवर्तन की दशा में सर्विस चार्ज प्रतिशत यथावत रहेगा।

16. निविदा दाता द्वारा श्रमिकों का देयक बिलम्ब से प्रस्तुत करने अथवा किसी भी अन्य स्थिति में श्रमिकों का वेतन यथा समय भुगतान कियेजाने का दायित्व निविदादाता का होगा जिसकी प्रतिपूरती ओपचारिकतायें पूर्ण करने पर निगम द्वारा किया जावेगा।

17. उपरोक्त शर्तो के अधीन निविदा में भाग लेने वाली फर्म को राशि 32 लाख रूपये **NEFT/RTGS/Online Banking** के माध्यम से आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के पक्ष में टेन्डर बिड के साथ **EMD** (धरोहर राशि) के रूप में जमा करनी होगी, जो ठेका स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को छोड़ कर शेष की नियमानुसार वापिस की जायेगी।

18. सफल निविदाकर्ता को **Performance Security** के रूप में निविदा राशि का 5% की बैंक गारंटी/एफडीआर नगर निगम आयुक्त के पक्ष में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

19. सफल निविदाकर्ता/ठेका प्राप्त कर्ता फर्म को ठेका स्वीकृत होने पर नियमानुसार विधिवत अनुबंध संपादित करना होगा।अनुबंध निष्पादन हो जाने पर अनुबंध की सभी शर्ते ठेका प्राप्तकर्ता फर्म पर बंधनकारी होगी। यह निविदा इस संबंध में जारी की गयी अगली निविदा स्वीकृति दिनांक तक प्रभावशील होगी। किसीभी विवाद की स्थिति में न्यायायिक क्षेत्र नगर निगम, ग्वालियर रहेगा तथा इस संबंध में निगम प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।

20. निविदा शर्ते अनुबन्ध का भाग होगी।

दंड (पेनल्टी):—

1. किसी भी श्रमिक की छुट्टी पर जाने/अनुपस्थिति की स्थिति में बदली करने की व्यवस्था भी चयनित एजेन्सी को करनी होगी नियमानुसारदिये गये वैतनिक अवकाश अवधि में उपलब्ध करायें गये कर्मीयों की सेवा हेतु नियमानुसार रिलीविंग चार्जेस के भुगतान की जिम्मेदारी एजेन्सी की रहेगीउक्त स्थिति में चूक की दशा में अनुपस्थित कर्मी हेतु देय राशि काटी जावेगी तथा उतनी ही राशि का दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा।
2. एजेंसी के कृत्यों के फलस्वररुप नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र में प्रत्यक्ष रुप से हानि होने की स्थिति में नगर निगम ग्वालियर द्वारा गुणदोष के आधार पर आवश्यकता अनुसार वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, इस हेतु एजेंसी को बचाव का समूचित अवसर दिया जावेगा।
3. स्वेा प्रदाता फर्म द्वारा उक्त संबंधी भुगतान संबंधितो को राशि प्राप्त होने के 03दिवस के अन्दर कराना होगा, अन्यथा 6.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा एवं 02 माह लगातार भुगतान नहीं करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
4. सफल निविदाकार द्वारा श्रमिकों से संबंधित राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के समस्त श्रम नियमों/अधिनियामों एवं कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा यदि ऐसा नहीं पाया जाता या उक्त संबध में कोई शिकायत प्राप्त होती हे तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
5. मैन पावर श्रमिकों के समस्त देयक भुगतान एवं अन्य कटोत्रों की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
6. निविदाकार निविदा शर्तो से संबंधित दस्तावेज/अभिलेख ही निविदा हेतु प्रस्तुत।

अपर आयुक्त,
नगर निगम,ग्वालियर



esbjob.com
Scanned with OKEN Scanner